UPVR010057672026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट, वाराणसी।

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं**0-1901/2026**

अर्चना गौड़ पत्नी हिमांशु शर्मा निवासिनी बी. 34/130 ब्रहमानन्द एक्सटेशन दुर्गाकुण्ड, थाना-भेलूपुर, जिला- वाराणसी। .....आवेदिका/अभियुक्ता।

बनाम

उ 0 प्र 0 राज्य..... अभियोजन पक्ष,

मुकदमा अपराध संख्या-21/2026
धारा- 3(2)(V) एस.सी./एस.टी.एक्ट
थाना-लंका, जिला-वाराणसी।

दिनांक-**10.06.2026**

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदिका/अभियुक्ता अर्चना गौड़ की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपराध उपरोक्त मे जमानत प्रार्थना पत्र सं०-1177/2026 दिया था। जिसमें धारा 370(4), 323, 504, 506 ,120 बी भा०दं०सं० व धारा-81 किशोर न्याय अधिनियम एवं धारा- 3(1)(द)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना-लंका, जिला-वाराणसी प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 22.04.2026 को न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र में बाद विवेचना पुलिस थाना लंका द्वारा अन्य धाराओं के साथ धारा-3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट की वृद्धि करके दिनांक-05.06.2026 को माननीय न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया। धारा- 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट का प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है। दौरान विवेचना बिना किसी युक्ति-युक्त साक्ष्य के विवेचनाधिकारी महोदय ने वादिनी के प्रभाव में होकर धारा- 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट की गलत वृद्धि किया है। अतः याचना किया कि 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट में जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि न्यायालय द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1177/2026 पूर्व में दिनांक-22.04.2026 को धारा 370(4), 323, 504, 506 ,120 बी भा०दं०सं० व धारा-81 किशोर न्याय अधिनियम एवं धारा- 3(1)(द)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट मे निरस्त किया जा चुका है। न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया गया है जिसमें धारा- 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा बढ़ी हुयी धारा में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत मामले में गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना अभियुक्ता का उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्ता अर्चना गौड़ द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1901/2026, अपराध संख्या 21/2026 अंतर्गत धारा-3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना लंका वाराणसी निरस्त किया जाता है।

दिनांकः-10.06.2026

(सुधाकर राय)
विशेष न्यायाधीश,
एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट,
वाराणसी।
जे.ओ.कोड नं.- यू0 पी0 6256

Digitally signed by SUDHAKAR RAI
Date: 2026.06.15 07:35:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court